संख्या- 3584 /15-7-16 46 / 2002

प्रेषक,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 03 अक्टूबर, 2002

विषय:- महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल सेंवीघाट कालेज रोड खुर्जा बुलन्दशहर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्न-लिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव।

पृ०सं०- 3564 (1)/15-7-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
5- प्रबंधक, महाराजा अग्रसेन परिवार [illegible] कालेज रोड, खुर्जा, बुलन्दशहर।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव।

Registered Parcel No 2363
dt. 21/8/2002

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक शि०स०/ 3366-67 /2002-2003 दिनांक 13-8-2002

विषय:- महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, मंजीघाट कालेज रोड, खुर्जा बुलन्दशहर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बध्दता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक एन०ओ०सी०/शि०/4992-93/2002-03 दिनांक 18 जुलाई 2002 के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त संस्था द्वारा आप द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण आख्या मण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है । प्रस्तुत पत्रजात मूल अभिलेखों से सत्यापित कर निम्नांकित बिन्दुओं पर संलग्न कर प्रेषित हैं।

1- प्रस्तुत पत्रजात सत्यापित कर संलग्न हैं ।

2- अध्यापकों एवं कर्मचारियों को भुगतान किये जा रहे वेतन का विवरण संलग्न है । अध्यापकों को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जा रहा है जो पंचम वेतनमान के अनुरूप नहीं है ।

3- छात्रों से वसूल की गयी फीस की रसीद की फोटो सत्यापित प्रति संलग्न है ।

4- संस्था में कक्षा 3 से 7 तक कुल 07 (सात) छात्र अनुसूचित जाति के अध्ययनरत हैं । ~~इसमें~~ अनुसूचित जाति के छात्रों के प्रवेश हेतु समाचार पत्र एवं नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रकाशित की गयी किन्तु केवल 07 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है ।

आख्या संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक- एक प्रति -

भवदीय

(अशोक कुमार उपाध्याय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ०सं० शि०स०/ 3366-67 /2002-2003 दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्धक, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मंजीघाट कालेज रोड, खुर्जा (बुलन्दशहर) को सूचनार्थ प्रेषित :-

(signature)
(अशोक कुमार उपाध्याय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।
13/8/2002

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक [मा0],
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक शि0स0/ /2002-03 दिनांक 31-8-2002

विषय :- महाराजा अग्रसैन पब्लिक स्कूल खुर्जा [बुलन्दशहर] को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बध्दता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक एन0ओ0सी0/शि0/4992-93/2002-03 दिनांक 18 जुलाई 2002 के संदर्भ में भेजे गये इस कार्यालय के पत्रांक शि0स0/3366-67/2002-2003 दिनांक 13-5-2002 के संदर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्रांक के बिन्दु संख्या 2 में यह उल्लेख किया गया है कि अध्यापकों को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जा रहा है जो पंचम वेतन मान के अनुरूप नहीं है । प्रबन्धक ने अपने पत्र दिनांक 31-8-2002 द्वारा प्रमाण सहित सूचित किया है कि मई 2002 से पंचम वेतन आयोग के अनुरूप अध्यापकों को वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है । इस कार्यालय के उक्त पत्र के साथ वांछित पत्रजातों की एक प्रति प्रेषित की गयी थी । इस पत्र के साथ वांछित पत्राजातों की एक प्रति [फोटो कापी] और संलग्न कर भेजी जा रही है । अध्यापकों को बैंक के माध्यम से पंचम वेतन मान के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है ।

संलग्नक- वांछित पत्रजात
एक प्रति में ।

भवदीय

[अशोक कुमार उपाध्याय]
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

पृ0सं0 शि0स0/ 4061-62 /2002-03 दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्धक, महाराजा अग्रसैन पब्लिक स्कूल खुर्जा [बुलन्दशहर] को सूचनार्थ प्रेषित ।

[अशोक कुमार उपाध्याय]
संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रथम मण्डल, मेरठ।